

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिरवा/युप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 22.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18. 03.2020 एवं 19.03.2020 की निरन्तरता में सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएँ, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैटिट्रायां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, रिट्री परिवहन, प्राइवेट बसें, ट्रेकरी, ऑटो रिक्षा आदि) आदि पूर्णतः बन्द रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्थिति का अंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिसिद्धि किया जा सकेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में समिलित किया गया है:-

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
2. चिकित्सा शिक्षा
3. आयुर्वेद
4. गृह (पुलिस, कारागार, गृह रक्षा, एफ. एस. एल.)
5. वित्त
6. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
7. विजली (उज्जी)
8. पेयजल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)
9. स्वायत्त शासन (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद)
10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
11. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
12. पंचायती राज
13. सूचना एवं जनसम्पर्क
14. सूचना प्रौद्योगिकी
15. परिवहन
16. सामान्य प्रशासन
17. स्टेट मोटर गैराज
18. विधि

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें अपरिहार्य स्थिति करने के लिए संबंधित विभाग के सचिव, जिला कलक्टर या संबंधित फील्ड डियूटी हेतु निर्देशित करने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

उक्त प्रतिबन्ध मीडिया/प्रेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोवाएँ, राष्ट्रीय प्रकार के विकित्सकीय रास्थान (मेडिकल रेलोर राहित), अौपथि एवं सार्जिकल आईटम्स के विनिर्माता, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एजेन्सी, दूध छेयरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, किराना एवं प्रोविजनल रस्टोर, मेडिकल रस्टोर एवं सार्जिकल उपकरण, फल-राष्ट्रियों की दुकानें, बैंक, एटीएम, पोर्ट ऑफिस पर लागू नहीं होगा।

इस अवधि में रामरत प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोलबेज, सिटी ट्रान्सपोर्ट, प्राईवेट वसं, टेक्सियां, आटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय (Inter State), अन्तरराज्यीय (Intra State), संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे रेटेशन से घर एवं अरपताल के लिए सीमित राख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे।

बन्द के दौरान आपात रिथ्ति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर/आयुक्त पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किये जायें।

उक्त आदेशों की कठाई से पालना सुनिश्चित जाये। उक्त आदेशों की अवधेलना की रिथ्ति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड राहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


 (रोहित कुमार सिंह)
 अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, रामरत अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. रामरत संभागीय आयुक्त, राज.
7. रामरत जिला कलक्टर, राज.
8. रामरत विभागाध्यक्ष, राजरथान
9. रामरत निदेशक, चिकित्सा एवं स्वारक्ष सेवाये राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वारक्ष सेवाएँ, राज. जयपुर।
12. निजी / रक्षित पत्रायली


 (संजय कुमार)
 शासन उप सचिव